न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या (85/2010) 37/2018 दायर तारीख 05.04.2018

अनवान्

1. भंवरलाल पिता राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण वयस्क निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)। (मृतक)
   1.1 शान्ति देवी पत्नि (बेवा) भंवरलाल जाति ब्राह्मण तहसील बिजौलिया।
   1.2 सीता पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   1.3 रमेश पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   1.4 निर्मला पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   1.5 सावित्री पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   1.6 मधु पुत्री भंवरलल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   1.7 अशोक पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   1.8 प्रेम प्रकाश पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।

.....वादीगण

बनाम्

1. शंकरलाल पिता भागचन्द जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. मोहनलाल पिता नारायण जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
   2.1 गोपाल पिता मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   2.2 सरजु बेवा मोहन लाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   2.3 शान्ति पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   2.4 कमला पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   2.5 लीला पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   2.6 नरेश पुत्र शम्भुलाल (पौत्र) जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   2.7 भुली बेवा शम्भुलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   2.8 सीमा पुत्री शम्भुलाल (पौत्री) जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
3. काना पिता नारायण जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
4. आशाराम पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
5. चुन्नीलाल पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री छीतरलाल धाकड़ अधिवक्ता वादीगण
श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाडा

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31/01/2019

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

खाते की भूमि मौजा ग्राम मानगढ पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द, तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 142 रकबा 1–03 बीघा, आराजी संख्या 214/141 रकबा 4–04 बीघा कुल किता 2 रकबा 5–07 बीघा भूमि भंवरलाल, शिवनारायण, भैरूलाल, छगनलाल, मदनलाल, मोहनलाल पिता राधाकृष्ण ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं।

उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। फिर भी प्रतिवादीगण ने आराजी संख्या 214/141 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वां भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा कर रखा हैं वादी द्वारा कब्जा हटाने के लिए कहा तो विपक्षीगण लड़ाई झगड़ा करने पर आमाद हुयें। वादी ने दिनांक 14.06.2007 को विवादित आराजीयात की पत्थरगढी प्रतिवादीगण की मोजूदगी में करवाई गई, जिसमे उक्त आराजीयात में आराजी नम्बर 214/141 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वां भूमि पर प्रतिवादी ने नाजायज कब्जा कर रखा हैं तभी से वाद हेतुक उत्पन्न हो सतत रूप से जारी हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। एवं कब्जा प्राप्ति तक लगान का 50 गुणा मुवावजा प्रदान कराते हुये वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादीगण की ओर से श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया ।

जवाब दावे में अंकित किया कि वाद पत्र के तथ्य अस्पष्ट हैं। वादी अकेले को सह काश्तकारों की खातेदारी में अभिलिखित होने से वाद लाकर धारा 183 के तहत कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। जिस भूमि का विवाद हैं वह भूमि 12 वर्ष से भी अधिक अवधि से प्रतिवादीगण के शांति पूर्वक निर्विवाद रूप से जरिये कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में आ रही हैं। प्रतिवादीगण ने नये सिरे से कोई कब्जा नही किया हैं। वादग्रस्त जायदाद वादी अथवा उसके सह काश्तकारों के स्वामित्व की नहीं हैं। नये एवं पुराने बन्दोबस्ती रेकॉर्ड में व नक्शा ट्रेस में हो गये सेवन इन्द्राजी से भूमि वादी एवं उसके सहयोगी काश्तकारों के खाते में दर्शादी गयी हैं। अन्यथा प्रतिवादीगण ही वादग्रस्त जायदाद के खातेदार हैं। ऐसी किसी पत्थरगढी की कोई जानकारी प्रतिवादीगण को नही हैं। जिसमें प्रतिवादीगण की वैध कब्जे वाली भूमि वादीया की खातेदारी भूमि बताकर उसे नापी गयी हो। बन्दोबस्त विभाग की सेवन इन्द्राजी के कारण यदि राजस्व अभिलेखों में कोई हेरा फेरी की गयी है तो केवल कागजी खातेदार के आधार पर प्रतिवादीगण की वादग्रस्त जायदाद से बेदखली नही की जा सकती। यही स्थिति इस प्रकरण से भी हैं। वादी अथवा उसके सह काश्तकारों का वादग्रस्त जायदाद में कभी कोई कब्जा नही रहा, न ही प्रतिवादीगण ने यह जानते हुये की वादग्रस्त जायदाद किसी अन्य खातेदार की है उसे बेदखल किया हैं। वादग्रस्त जायदाद प्रतिवादीगण के ही खातेदारी कि है एवं कब्जा भी उन्ही का हैं। साथ ही **क्रोस क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त जायदाद आराजी नम्बर 214/141 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वां के वास्तविक खातेदार हैं। सेवन से यह भूमि वादी एवं अन्य सह काश्तकारों के खाते में दर्ज हुयी हैं। इसलिए उनके खाते से भूमि हटायी जाकर प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज करायी जावें। वादी का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के क्रोस क्लेम को स्वीकार करते हुये जवाब दावा अनुसार प्रतिवादीगण कों डिक्री फरमायी जावें।**

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 मौजा मानगढ खाता संख्या 45, खाता संख्या 60, नक्शा ट्रेस मौजा मानगढ, प्रति नक्शा ट्रेस पत्थरगढी संलग्न हैं।

वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

तनकी नम्बर 1 आया वादपत्र के कायत संख्या 1 में वर्णित जायदाद आराजी संख्या 214/141 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वां पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा करने से वादी उनको बेदखल कर 50 गुना मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

.....जिम्मेवादी

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

तनकी नम्बर 2 आया वदग्रस्त जायदाद में प्रतिवादीगण 12 वर्षो से अधिक अवधि से काबिज होने से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

तनकी नम्बर 3 आया वाद पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नम्बर 4 अनुतोष क्या होगा। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–1 भंवरलाल शर्मा निवासी थड़ोदा को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। इसके अलावा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू–1 चुन्नीलाल धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द, डीडब्ल्यू–2 शंकरलाल धाकड़ निवासी बिजौलियां खुर्द, डीडब्ल्यू–3 मांगीलाल धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द, डीडब्ल्यू–4 हीरा धाकड़ नि0 छोटी बिजौलियां को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं।

पीडब्ल्यू–1 भंवरलाल शर्मा निवासी थड़ोदा ने अपने बयान में लिखाया कि कि उनकी खातेदारी जमीन मौजा मानगढ में स्थित हैं जो राजस्व रेकार्ड में शामलाती खाते में दर्ज हैं। खाते की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 उसने प्रस्तुत की जो प्रदर्थ–1 हैं। नक्शा ट्रेश पेश किया जो प्रदर्थ–2 हैं। उक्त खाते की आराजी नम्बर 214/141 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वां स्थित हैं। इस जमीन की उसने पत्थरगढी 14.06.2007 को करवायी जिसका पर्चा मौका प्रस्तुत किया है वह प्रदर्थ–3 हैं। पत्थरगढी कराते वक्त उसे पता चला कि उक्त आराजीयात के 3 बीघा 14 बिस्वां पर प्रतिवादीगण शंकरलाल पिता भागचन्द धाकड़, मोहनलाल पिता नारायण, खाना पिता नारायण, आशाराम पिता लक्ष्मण, चुन्नीलाल पिता लक्ष्मण धाकड़ बिजौलिया खुर्द ने कब्जा कर रखा हैं। वक्त पत्थरगढी सभी प्रतिवादीगण मौजूद थे। पत्थर गढी कराते वक्त प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा किन्तु उन्होंने कब्जा नही छोड़ा जिससे मैने कब्जा हटाने का दावा पेश किया जिरह में लिखाया कि मानगढ थडौदा में अन्दाजन 1–2 कोस दूरी पर है। दोनों आराजीयात जो मैने दावे में लिखी हैं उनके बीच में एक खाल निकल रहा हैं। 4 बीघा 4 बिस्वां जमीन के पूर्व में जीतमल धाकड़ की जमीन, पश्चिम में प्रतिवादीगण की जमीन, उत्तर में मेरी स्वयं की जमीन, दक्षिण में कौन पड़ोसी है पता नही पहले पड़त थी मै अपनी जमीन पर स्वयं काश्त करता हूं। मै इस जमीन पर काश्त नही करता था घास काटता था। मैं 50 साल से घास काटता था। मै दावा पेश करने से अब तक घास नहीं काट रहा हूं। यह सही है कि पत्थरगढी से पहले यह मुझे पता नही था कि यहां मेरी जमीन है। पत्थरगढी के पश्चात पता चला कि वादग्रस्त जमीन मेरी होकर प्रतिवादीगण ने उस पर कब्जा कर रखा हैं। मानगढ मे इस जमीन के अलावा मेरी कोई जमीन नही हैं। खातेदारो में शिवनारायण की मृत्यु हो गयी बाकी सब जीवित हैं। वादग्रस्त जायदाद मैने अकेले ने खरीदी। इसलिए इसमें भाईयों ने दावा नहीं किया। मैने स्वयं 2013 में यह जमीन खरीदी यह कहना गलत है कि मैने पत्थरगढी गलत नम्बर की करायी हो और जिस नम्बर की पत्थरगढी करायी वह मेरे खाते मे दर्ज नही हो यह सही है कि 214/41 मेरे खाते मे दर्ज नहीं हो मेरे खाते में 214/141 हैं।

डीडब्ल्यू–1 चुन्नीलाल धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द ने सशपथ बयान लिखाया कि विवादित जमीन मौजा मानगढ में 4–5 बीघा के लगभग हैं। इस जमीन पर मुझे याद आता हैं तभी से हम प्रतिवादीगण का ही कब्जा हैं। वादग्रस्त जमीन हमारी पुश्तैनी है। वादी एवं हमारे बीच में कभी भी जमीन के कब्जे सम्बन्धी विवाद नही हुआ हैं। वक्त पत्थरगढी मुझे मौके पर नही ले गये । बाद में पत्थरगढी के मौका पर्चा पर हस्ताक्षर कराए गए। जिरह में लिखाया कि विवादित जमीन आराजी संख्या 214/141 रकबा 4–04 बीघा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में किसके नाम दर्ज है मुझे पता नही। हम तो जहां काबिज थे वही आज भी काबिज हैं। विवादित जमीन वादीगण भंवरलाल, शिवनारायण, भैरूलाल, छगनलाल, मोहनलाल पिता राधाकृष्ण के नाम दर्ज हो तो मुझे पता नहीं हैं।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

Scanned by CamScanner

यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन पर हमारा कब्जा नही हो, हम 50 वर्षो से काबिज हैं।

डीडब्ल्यू–2 शंकरलाल धाकड़ बिजौलियां खुर्द ने सशपथ बयान लिखाया कि हमारी जमीन ग्राम मानगढ में हमारे सभी भाईयों के सामलाती खाते है जो करीब 20–25 बीघा भूमि हैं। वादी हमारी खातेदारी जमीन का पूर्वी दिशा का पड़ोसी है वादी के पास जो जमीन थी जो उसके बापदादाओं की है या कब खरीद की है मुझे पता नहीं हैं। हमारी जमीन व वादी के बीच दीवार बनी हुई जो चालीस साल पुरानी है। कोट के एकतरफा हमारी जमीन हैं। तथा दूसरी ओर भंवरलाल की जमीन हैं तथा पत्थर के कोट को कभी नही खिसकाया व काश्त कर रहे है हमारे और वादी के बीच जमीन के कब्जे को लेकर कोई विवाद नही हुआ हैं।। भंवरलाल व हमारी मौजूदगी में जमीन नापने की मेरे पास जानकारी नही हैं। वादी की खातेदारी की जमीन पर कब्जा नही किया तथा हमारे बापदादा बैठे थे वहा हम बैठकर काश्त करते है तथा मानगढ 3 कि.मी. दूर तथा थड़ौदा से मानगढ 5 कि.मी. की दूरी पर है भंवरलाल जी जिन्दा थे तब उनकी जमीन में घास काटता तथा उनके वारिश भी उस जमीन में घास काटते हैं। जिरह में लिखाया कि मुझे मानगढ की जमीन के आराजी नम्बर याद नही है वादी भंवरलाल जी की वादग्रस्त भूमि के नम्बर भी याद नही है हमने अपनी आराजीयात कभी नपवायी नही है भंवरलाल जी की जमीन के पास कोट के सहारे कुछ में चारा काटते तथा कुछ पर खेती करते है हमारी आराजीयात वादी भंवरलाल की जमीन के पश्चित दिशा में है। भंवरलाल के कितनी जमीन है मुझे याद नहीं यह कहना गलत है कि वादी की जमीन 4 बीघा 04 बिस्वां पर नाजायज कब्जा कर रखा हैं।

डीडब्ल्यू–3 मांगीलाल धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द ने सशपथ बयान किया कि मे प्रतिवादीगण को व इनकी जमीन ग्राम मानगढ में 30–40 बीघा है मेरी व प्रतिवादीगण की जमीन पास–पास में है। तथा कुआ भी पास पास में हैं। हमारी जमीन के पश्चिम में प्रतिवादीगण की जमीन है। बीच में खाल हैं। प्रतिवीगण की जमीन दा साखे होकर कुए से सिचिंत हैं। प्रतिवादीगण ने जमीन के चारों और पत्थरों की को 30–35 साल से लगा रखी, देख रहा हूं। मेरी जानकारी में प्रतिवादीगण ने अपनी जमीन पर लगी पत्थरों की कोट को आगे–पीछे नही किया। में वादीगण की जमीन को जानता हूं। इनका बीड़ा है प्रतिवादीगण ने वादीगण की जमीन पर अधिचार कर कोई कब्जा नही कर रखा है प्रतिवादीगण अपने खाते की भूमि पर ही काजिब हैं। जिरह वकील वादी में लिखाया कि मैं जमाबन्दी नक्शा ट्रेस में नही समझाता हूं। प्रतिवादीगण की जमीन के नम्बर मैने नहीं देखे हैं। यह कहना गलत है कि में जमीन पर नही गया हूं। मै जमीन पर जाता हूं। मेरा साल में एक दो बार जाने का काम पड़ता ही है। में वादी की जमीन की पत्थरगढी के वक्त मौके पर मौजूद नही था। पत्थरगढी के वक्त 3–04 बीघा भूमि प्रतिवादी के कब्जे में हो मैं नही जानता मुझे मेरी जमीन के नम्बर याद नही हैं। प्रतिवदीगण मोहनजी, शंकरलालजी, आशारामजी का ही कुआ हैं। प्रतिवादीगण 10–15 बीघा जमीन बोते होगें। बीड़ा भी हैं। यह कहना गलत हैं कि झूठे बयान दे रहा हूं प्रतिवादीगण से मिला हूं।

डीडब्ल्यू–4 हीरा धाकड़ निवासी बिजौलियां खुर्द ने भी अपने बयानों में पूर्व में प्रस्तुत गवाहों के तथ्यों को ही दौराया हैं।

बहस विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं वाद की सत्यता बाबत् वादी ने स्वयं वादी के बयान कराये हैं। जमीन पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका परछा की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं। वाद डिक्री किये जाने व लगान का 50 गुणा मुवावजा दिलाये जाने की मांग की हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब दावे में अंकित तथ्यों का विश्लेषण करते हुये वाद पत्र खारिज किया जाकर क्रोस क्लेम के तहत भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने की मांग की हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाब के समर्थन में चार गवाहों के बयान कराये हैं। वाद पत्र खारिज किये जाने की मांग की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम मानगढ स्थित 45 पर संवत् 2062 से 2065 पर आराजी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 05 पर

Scanned by CamScanner

214/141 रकबा 4–04 बीघा किस्म बंजड़ खातेदार भंवरलाल, शिवनारायण, भैरूलाल, छगनलाल, मदनलाल, मोहनलाल पिता राधाकृष्ण ब्राह्मण साकिन थड़ौदा के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। वादी ने अपने वादपत्र में इन्ही आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना अंकित किया हैं। कब्जे की पुष्टि बाबत् पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थीगण शंकरलाल पिता भागचन्द, चून्ना पिता लक्ष्मण धाकड़ का कब्जा काश्त हैं। पर्चा मौका पर शंकरलाल धाकड़ के हस्ताक्षर अंकित हैं। जिसे स्पष्ट हैं कि विपक्षीगण का प्रार्थी की भूमि पर कब्जा काश्त हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में क्रोस कलेम अंकित कर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किये जाने की मांग की हैं। किन्तु प्रस्तुत गवाहों से तथा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत नही किया है जिससे स्पष्ट होता हो कि ग्राम थड़ौदा की वादग्रस्त आराजीयात 214/141 पूर्व में प्रतिवादीगण के खाते की अभिलिखित हो। जिससे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री योग्य हैं।

आदेश

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीयां ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा मानगढ स्थित आराजी नम्बर 214/141 रकबा 4–04 बीघा किस्म बंजड से प्रतिवादीगण नम्बर 1 शंकरलाल पिता भागचन्द, प्रतिवादीगण नम्बर 2 चुन्नीलाल पिता भागचन्द धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। प्रतिवादीगण का क्रोस क्लेम साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 31.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलिया

बइजलास श्री विकास पंचोली (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या (85/2010) 37/2018

1. भंवरलाल पिता राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण वयस्क निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)। (मृतक)
   - 1.1 शान्ति देवी पत्नि (बेवा) भंवरलाल जाति ब्राह्मण तहसील बिजौलिया।
   - 1.2 सीता पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   - 1.3 रमेश पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   - 1.4 निर्मला पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   - 1.5 सावित्री पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   - 1.6 मधु पुत्री भंवरलल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   - 1.7 अशोक पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।
   - 1.8 प्रेम प्रकाश पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया।

.....वादीगण

बनाम्

1. शंकरलाल पिता भागचन्द जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. मोहनलाल पिता नारायण जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
   - 2.1 गोपाल पिता मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   - 2.2 सरजु बेवा मोहन लाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   - 2.3 शान्ति पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   - 2.4 कमला पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   - 2.5 लीला पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   - 2.6 नरेश पुत्र शम्भुलाल (पौत्र) जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   - 2.7 भुली बेवा शम्भुलाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
   - 2.8 सीमा पुत्री शम्भुलाल (पौत्री) जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया।
3. काना पिता नारायण जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
4. आशाराम पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
5. चुन्नीलाल पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 31.01.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री छीतरलाल धाकड़ अधिवक्ता वादी / श्री गिरधारीलाल आचार्य प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीयां ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा मानगढ स्थित आराजी नम्बर 214/141 रकबा 4–04 बीघा किस्म बंजड से प्रतिवादीगण नम्बर 1 शंकरलाल पिता भागचन्द,

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण नम्बर 2 चुन्नीलाल पिता भागचन्द धाकड़ निवासी बिजौलिया खुर्द को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। प्रतिवादीगण का क्रोस क्लेम साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 01 वर्ष 2019 को जारी किया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जि -भीलवाड़ा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जि -भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner